<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2020</u>

दीनानाथ चौधरी.....वादी

बनाम

किसुन चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
03.07.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 10.05.2023 के आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 10.05.2023 में कहा गया है कि इस मुकदमा में प्रतिवादीगण को दिनांक 22.09.2022 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण आवश्यक कागजात ससमय उपलब्ध नही होने के कारण अपना बयान तहरीरी इस मुकदमा में समय से दाखिल नही कर सके। जिसके कारण प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर प्रस्तुत वाद में विलंभ से बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया है। बल्कि उपरोक्त वर्णित कारणों से ससमय बयान तहरीरी दाखिल नही कर सके। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगणों को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये आदेश दिनांक 22.09.2022 को वापस लेते हुये प्रतिवादीगण का बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगण को बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया परंतु पर्याप्त समय देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया गया। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 06 एवं 16, 17 एवं 27 दिनांक 28.03.2021 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 29.09.2021 को प्रतिवादी सं0–07 एवं 08 न्यायालय में अपने	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–37/2020</u>

दीनानाथ चौधरी.....वादी

बनाम

किसुन चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 03.07.2023	विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 22.09.2022 को प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 द्वारा विलंब से बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 का आवेदन प्रत्येक प्रतिवादी मो0–1000/– (एक हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 22.09.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 16, 17 एवं 27 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 03.08.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	